परिकाल्य - म")

प्रचन सं. [क. 212]
पंचायत के अध्यक्ष को उसके विरुद्ध आपराधिक आरोप विरचना के कारण उसे निलम्बित
किया गया था । मजिस्ट्रेट द्वारा उसे दोषमुक्त किया गया । चूँिक उसकी दोषमुक्ति का निर्णय
प्रवर्तनशील था, इसलिए इस धारा के प्रावधानों की कठोरता अप्रभावी होगी एवं अध्यक्ष उसके
पारिणामिक अनुतोष से वंचित नहीं रखा जा सकता ।

[रमेश वि. म.प्र. राज्य वगै., 2013(1) म.प्र.लॉ.ज. 229 खण्डपीठ (म.प्र.)]

धारा 40. पंचायत के पदधारियों का हटाया जाना— (1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, किसी पदधारी को, किसी मी समय हटा सकेगा-

- (क) यदि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है; या
- (ख) यदि उसका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है-

परन्तु किसी भी व्यक्ति को पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे यह कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो, कि उसे उसके पद से क्यों न हटा दिया जाए :

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए ''अवचार'' के अंतर्गत है-

- (क) ऐसा कोई कार्य जिसका-
  - (एक) भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता पर, या
  - (दो) राज्य के सभी लोगों में समरसता और समान समान भ्रातृत्व की ऐसी भावना के निर्माण पर जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो,
  - (तीन) स्त्रियों के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या
- (ख) इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन मे घोर उपेक्षा;
- <sup>1</sup>[(ग) पंचायत के किसी पदधारी द्वारा पंचायत में अपने किसी नातेदार के लिए नियोजन प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति या प्रभाव का प्रत्यक्षतः या अप्रतक्षतः प्रयोग करना या किसी नातेदार को आर्थिक फायदा पहुँचाने के लिए कोई कार्रवाई करना, जैसे कि किसी प्रकार का कोई पट्टा देना, उनके माध्यम से पंचायत में किसी कार्य को करवाना ।]

<sup>2</sup>[परन्तु यह और कि जाँच में अंतिम आदेश संबंधित पदाधिकारी को कारण बताओ सूचना जारी होने की तारीख से 90 दिन के भीतर पारित कर दिया जाएगा और जहाँ लम्बित प्रकरण 90 दिन के भीतर विनिश्चित नहीं किया जाता है, वहाँ विहित प्राधिकारी अपने अगले वरिष्ठ अधिकारी को लिखित में समस्त तथ्यों से सूचित करेगा और जांच के निपटारे के लिए समय में वृद्धि करने का अनुरोध करेगा किन्तु समय में ऐसी वृद्धि 30 दिन से अधिक नहीं होगी 1]

स्पष्टीकरण— इस खण्ड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति ''नातेदार'' से अभिप्रेत है, पिता, माता, भाई, बहिन, पित, पत्नी, पुत्र, पुत्री, सास, श्वसुर, साला, बहुनोई, देवर साली, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, दामाद या पुत्र-वधु—

<sup>2.</sup> अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2005 के द्वारा प्रतिस्थापित । दिनांक 30-8-2005 से प्रवृत्त ।



<sup>1.</sup> अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1997 के द्वारा अन्तःस्थापित । दिनांक 7-1-1997 से प्रवृत्त ।

- (2) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन हटा दिया गया है, तत्काल किसी ऐसी अन्य पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा, जिसका कि वह सदस्य है। ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन <sup>1</sup>[\* \* \*] के लिए भी छह वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित हो जाएगा।
- Sec. 40. Removal of office bearers of Panchayat.- (1) The State Government or the prescribed authority may after such enquiry as it may deem fit to make at any time, remove an office bearer—
  - (a) if he has been guilty of misconduct in the discharge of his duties; or
  - (b) if his continuance in office is undesirable in the interest of the public:

Provided that no person shall be removed unless he has been given an opportunity to show cause why he should not be removed from his office.

Explanation.-For the purpose of this sub-section "Misconduct" shall include—

- (a) any action adversely affecting-
  - (i) the sovereignty, unity and integrity of India; or
  - (ii) the harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of State transcending religious, linguistic, regional, caste or sectional diversities; or
  - (iii) the dignity of women; or
- (b) gross negligence in the discharge of the duties under this Act.
- <sup>2</sup>[(c) the use of position or influence directly or indirectly to secure employment for any relative in the Panchayat or any action for extending any pecuniary benefits to any relative, such as giving out any type of lease, getting any work done through them in the Panchayat by an office bearer of Panchayat.

**Explanation.**-For the purpose of this clause the expression 'relative' shall mean father, mother, brother, sister, husband, wife, son, daughter, mother-in-law, father-in-law, brother-in-law, sister-in-law, son-in-law or daughter-in-law:]


<sup>3</sup>[Provided further that the final order in the inquiry shall be passed within 90 days from the date of issue of show cause notice to the concerned office bearer and where the pending case is not decided within 90 days, the prescribed authority shall inform all facts to his next senior officer in writing and request extension of time for disposal of the inquiry but such extension of time shall not be more than 30 days.]

(2) A person who has been removed under sub-section (1) shall forthwith cease to be a member of any other Panchayat of which he is a member, such person shall also be disqualified for a period of six years to be elected <sup>4</sup>[xxx] under this Act.

2. Ins. by M.P. 2 of 1997 [7-1-1997].

3. Subs. by M.P. Act 20 of 2005, w.e.f. 30-8-2005.

4. Omitted by M.P. 26 of 1994 [30.5.94], the words "co-opted or appointed".



<sup>1.</sup> अधिनियम क्रमांक 26 सन् 1994 के द्वारा विलुप्त । दिनांक 30-5-1994 से प्रवृत्त ।